AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 20th December, 2005

No.HPERC/609A.- In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section-42 and section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the consumers) Regulations, 2003 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extraordinary) dated the 24th October,2003:-

1. **Short title and commencement-** (1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) (Third Amendment) Regulations, 2005.

   (2)These regulations shall come into force on the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. **Amendment of regulation-2.-** In regulation 2 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Guidelines for Establishment of Forum for Redressal of Grievances of the Consumers) Regulations,2003 (hereinafter called "the said regulations') clauses (18) and (20) shall be omitted.

3. **Amendment of regulation 5.-** In regulation 5 of the said regulations, for the words "Subject to other provisions of these regulations", the words "Notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, but subject to other provisions of these regulations" shall be substituted.

4. **Omission of regulation 6.-** Regulation 6 of the said regulations shall be omitted.

5. **Amendment of regulation 7.-** In regulation 7 of the said regulations,-

   (i) in sub-regulation (1), for words "Subject to sub-regulation (6) of this regulation every", the word "Every" shall be substituted;
   (ii) in sub-regulation (4), the sentence "The statement 'consumers whose grievance is not solved by the Internal Executive Dispute Resolution

Mechanism of the distribution licensee can approach the Forum established for redressal of the grievance' shall also be printed on such bills." shall be omitted.

6. **Amendment of regulation 8.**- After item (2) of regulation 8 of the said regulations, the following item (3) shall be inserted, namely:-

   " (3) compensation payable under sub-section (2) of section 57 of the Act;".

7. **Amendment of regulation 11.**- In regulation 11 of the said regulations,-

   (i) in sub-regulation (1), in clauses (a) and (b) for the words "nodal officer," wherever these occur, the words " the distribution licensee or any officer designated by it" shall be substituted;

   (ii) in sub-regulations(2) and (3) for the words "two months",wherever these occur, the words "three months" shall be substituted.

8. **Substitution of regulation 13**.- For regulation 13 of the said regulations, the following regulations 13 shall be substituted, namely:-

   "13.Representation to the Electricity Ombudsman.- Any person, who is aggrieved-

   (a) by an order of the Forum made on a complaint, or

   (b) by non-redressal of his grievance by the Forum,

   may represent to the Electricity Ombudsman, in the manner, in the form and within the period specified in the regulation 8 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Electricity Ombudsman) Regulations,2004".

9. **Amendment regulation 14**.- In regulation 14 of the said regulations, the following sub-regulation (3) shall be added, namely:-

   "(3) Nothing contained in these regulations shall, expressly or impliedly, restrict the rights and privileges of the consumer under the Internal Executive Disputes Resolution Mechanism (IEDRM) of the distribution licensee".

By order of the Commission

Sd/-

Secretary.

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग शिमला

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 दिसम्बर, 2005

संख्याः एच0पी0ई0आर0सी0/609A.– विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 42 की उप–धारा (5) तथा धारा 181 के साथ पठित साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सशक्त करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग असाधारण राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, दिनांक 24 अक्तूबर, 2003 के अंक में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) विनियम, 2003 में और संशोधन करने हेतू निम्न विनियम बनाता है :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**– (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) (तृतीय सं" ोधन) विनियम, 2005 है।

   (2). ये विनियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **विनियम 2 का संशोधन.**– हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (मंच) प्रस्थापना मार्गदर्शन) विनियम, 2003 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त विनियम" कहा गया है) के विनियम 2 में से खण्ड (18) तथा (20) का लोप किया जाएगा ।

3. **विनियम 5 का संशोधन.**–उक्त विनियमों के विनियम 5 के आरम्भ में शब्द "किसी लागू विधि में कोई बात प्रतिकूल होते हुए परन्तु" जोड़े जाएँगे ।

4. **विनियम 6 का लोप.**– उक्त विनियमों के विनियम 6 का लोप किया जाएगा ।

5. **विनियम 7 का संशोधन .**– उक्त विनियमों के विनियम 7 में –

   (i) उप–विनियम (1) में आए शब्दों और चिन्ह **","** **"**इस विनियम (6)के उप–विनियम के अध्याधीन," का लोप किया जाएगाः

   (ii) उप–विनियम (4) में आए वाक्य **"**यह कथन 'उपभोक्ता, जिनकी शिकायत का निवारण, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी की आन्तरिक विवाद निवारण रचना प्रबन्धन द्वारा नहीं हुआ, वह शिकायत निवारण हेतू स्थापित फोरम (मंच) के समक्ष अपनी

शिकायत रख सकता है' भी ऐसे बिलों पर छपा होना आवश्यक है।'' का लोप किया जाएगा ।

6. **विनियम 8 का संशोधन.**— उक्त विनियमों के विनियम 8 की मद (2) के पश्चात् निम्नलिखित मद (3) अन्तः स्थापित की जाएगी, नामतः :—

"(3)अधिनियम की धारा 57 की उप–धारा (2) के अधीन देय प्रतिकर;'' ।

7. **विनियम 11 का संशोधन.**— उक्त विनियमों के विनियम 11 में, —

(i) उप–विनियम (1) में, खण्ड (क) तथा (ख) में यहां कहीं भी आए शब्द "नोडल अधिकारी" के स्थान पर " ाब्द ''वितरण अनुज्ञाप्तिधारी अथवा उस द्वारा पदाभिहित अधिकारी'' प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उप–विनियम (2) तथा (3) में, शब्द "दो माह", यहां कहीं भी आए हो, के स्थान पर " ाब्द ''तीन माह'' प्रतिस्थापित किए जाएँगे ।

8. **विनियम 13 का प्रतिस्थापन.**— उक्त विनियमों के विनियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम 13 प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

"13. **विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन.**— कोई भी व्यक्ति जो —

(क) शिकायत पर फोरम (मंच) के आदेश के कारण व्यथित है; या
(ख) फोरम (मंच) से उसकी शिकायत का प्रतितोष न मिलने के कारण व्यथित है;

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत ओम्बुडसमैन) विनियम, 2004 के विनियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति, प्ररूप तथा अवधि में विद्युत ओम्बुडसमैन को अभ्यावेदन कर सकेगा ।

9. **विनियम 14 का संशोधन.**— उक्त विनियम के विनियम 14 में निम्नलिखित उप–विनियम (3) जोड़ा जाएगा, नामत्: :—

"(3) इन विनियमों में उपबन्धित कोई भी बात, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, वर्तमान में लागू वितरण अनुज्ञाप्तिधारी के आन्तरिक विवाद निवारण रचना प्रबन्धन (आ0वि0नि0र0प्र0) के अधीन उपभोक्ता के अधिकारों और विशेषाधिकारों को प्रभावित नहीं करेगी ।''

आयोग के आदेश द्वारा

सचिव